



सराहनीय कार्य



इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 05.11.2024

मात्र 02 घण्टे के अन्दर झूठी सूचना देने वाले 01 अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार,

➔ अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री अभयनाथ त्रिपाठी के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी जसवंतनगर श्री नागेन्द्र चौबे के कुशल नेतृत्व में थाना **जसवंतनगर पुलिस** द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 04.11.2024 को वादी कुलदीप पुत्र प्रेम सिंह निवासी नगला केशो थाना जसवंत नगर जनपद इटावा द्वारा थाना जसवन्तनगर पर सूचना दी गयी कि वह अपनी पत्नी शिवानी व बच्चे के साथ i10 कार में आगरा अपने बच्चे को दवा दिलवाने के लिये जा रहा था इसी दौरान जब वह समय लगभग 14:30 बजे हाईवे नगला केशो कट पर पहुंचा तो 01 बाइक पर गांव के ही नीरज पुत्र पंचीलाल अपने अन्य दो साथियों के साथ आया और तमंचे से फायर कर दिया जो कि उसकी पत्नी के बाएं हाथ की उंगलियों में लग गया।

सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी जसवन्तनगर एवं प्रभारी निरीक्षक थाना जसवंत नगर द्वारा घटनास्थल पर जाकर आसपास के लोगों से जानकारी की गई तो लोगों ने इस प्रकार की किसी भी घटना का नहीं होना बताया। **तदोपरान्त घटना संदिग्ध प्रतीत होने पर क्षेत्राधिकारी जसवन्तनगर द्वारा पीड़ित कुलदीप यादव से कड़ाई से पूछताछ की गई तो पूरी घटना फर्जी पाई गई।**

पूछताछ में कुलदीप यादव द्वारा बताया गया कि मेरे सम्बन्ध नीरज यादव पुत्र पंची लाल से अच्छे नहीं हैं, पहले में और नीरज दोस्त थे इधर कुछ दिनों से नीरज मेरे साथ नहीं रहता है और गांव में जो लोग मेरे विरोधी है।

नीरज उनके साथ उठता-बैठता है और मेरी बात नहीं मानता है, इसलिए मैंने कई बार उसको अपने साथ रहने के लिए दबाव बनाया लेकिन वो नहीं मान रहा था, कुछ दिन पूर्व भी मैंने 01 अभियोग नीरज को फँसाने के लिए थाना सैफई में लिखवाया था उसमे भी नीरज मौके पर नहीं था। **कल जब मैं अपने पत्नी शिवानी और बच्चे के साथ आगरा जा रहा था तो मैं अपनी कार में रखे पटाखे को जलाकर उसको फोड़ रहा था जो मेरी पत्नी के बाएं हाथ की उंगली में जाकर फूट गया, इसी समय मैंने प्लानिंग के तहत नीरज यादव को पुनः झूठे मुकदमे में फिर से फँसाने के लिए जानबूझ कर नीरज यादव द्वारा मेरी पत्नी को गोली मारने की झूठी सूचना 112 पर दी थी।**

पूछताछ के आधार पर अभियुक्त कुलदीप उपरोक्त को गिरफ्तार कर **थाना जसवन्तनगर पर मु0अ0सं0 241/2024 धारा 132/217 बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. कुलदीप पुत्र प्रेम सिंह निवासी नगला केशो थाना जसवंत नगर जनपद इटावा।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 241/2024 धारा 132/217 बीएनएस थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा।

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 93/2016 धारा 411/414 भादवि व 102/41 सीआरपीसी थाना बरनाहल जनपद मैनपुरी ।
2. मु0अ0सं0 94/2016 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरनाहल जनपद मैनपुरी
3. मु0अ0सं0 116/2021 धारा 147/148/149/307/323/504/506 भादवि थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा
4. मु0अ0सं0 217/2022 धारा 147/323/325/427/504 भादवि थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा
5. मु0अ0सं0 266/2017 धारा 147/323 भादवि थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा
6. मु0अ0सं0 440/2017 धारा 504/506 भादवि थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा
7. मु0अ0सं0 630/2017 धारा 147/323 भादवि थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा
8. मु0अ0सं0 69/2015 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा
9. मु0अ0सं0 241/2024 धारा 132/217 बीएनएस थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा ।

पुलिस टीम:- श्री नागेन्द्र चौबे क्षेत्राधिकारी जसवन्तनगर, निरी0 रामसहाय प्रभारी थाना जसवन्तनगर मय टीम ।